न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 245 / 2011
अनवान : –

1. औमप्रकाश पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णकुमार 2. बनवारी 3. महेन्द्र 4. रामेश्वरलाल पि0 पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

5. संतोष पत्नी इन्द्राज पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तह० नोहर ।

6. सुभाष 7. शिशपाल 8. गायत्री पुत्र एवं पुत्रियां इन्द्राज पुत्र पेमाराम जाति नायक साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर ।

9. बादो देवी पत्नी भिराज जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर ।

10. लीलाधर 11. साहबराम 12. आत्माराम 13. छोटूराम 14.हाकमराम 15. विनोद पुत्रगण भिराज जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर ।

16. शोपति 17. गुडडी 18. सुरस्वती 19. बिदामी 20. कोयली पुत्रियां भिराज जाति नायक साकिन ढण्डेला तह० नोहर ।

21. मुखराम 22. सोहनलाल पि० डूंगरराम जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर।

23. इन्द्राज 24. हडमान 25. रामप्यारी 26. सोना 27. शाँति 28. राजैन्द्र पुत्र एवं पुत्रियां ड्रॅगर जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर

29. विधा 30. गीता 31. बादो पुत्र एवं पुत्रियां नत्थूराम पुत्र पुराराम जाति नायक साकिन ढण्ढेंला तहसील नोहर ।

32. रामी देवी पत्नी नत्थूराम कोम नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर ।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 28/10/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ैही मौजा ढण्ढेला तहसील नाहर की खाता संख्या 125 के खसरा नम्बर 169 की 21 बीघा कृषि भूमि थी जिसके शेरा वल्द केसा कोम नायक [illegible] काश्तकार थे। उपरोक्त कृषि भूमि में शेरा वल्द केसा के फौत होने पर [illegible] व पुराराम उतराधिकारी हुए तथा उनका उक्त 21 बीघा भूमि में बहिब के विरासतन [illegible]दार काश्तकार थे, [illegible]त्येक के हिस्सा में 7 बीघा भूमि आती थी। उपरोक्त कृषि भूमि भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र में आने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैमाईश चकबंदी में किला नम्बर व मु०नं० में परिवर्तित एवं पैमुद हो गई तथा रौही मोजा चक 13 बारानी के खाता संख्या 73/61 के पं०नं0 255/382 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 16 की 0.253, 17 की 0.253, 18 की 0.253, 22 की 0.253, 23 की 0.253, 24 की 0.253, 25 की 0. 253, पं0नं0 255/383 मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 2 की 0.253, 3 की 0.253, 4 की 0.253, 5 की 0.253, 6 की 0.253, 7 की 0.253, 8 की 0.253, 9 की 0.253, 12 की 0.253 कुल 4.048 हैक्टेयर भूमि में परिवर्तित हो गई उपरोक्त वाद भूमि शेरा वल्द केसा कौम नायक की अर्जित भूमि है तथा उकत भूमि में भिराज, डूंगर व पुरा की बहिब विरासतन हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है चूँकि उक्त तीनो फोत हो चूके है जिनमें प्रतिवादी सं 9 ता 20 जो भिराज के वारीसान है का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा के संयुक्त तौर से व प्रतिवादी सं 21 ता 27 डूंगर के वारीसान है जिनका संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के व वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं 28 ता 32 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है क्योंकि उनके दादा शेरा वल्द केसा की अर्जित भूमि है जिसे प्रतिवादी सं 10 ता 20 के पिता एवं प्रतिवादी नं 9 के पति भिराज ने 160 हिस्सा व प्रतिवादी सं 21 ता 27 के पिता डूंगर ने 160 हिस्सा कतई अनुचित रूप से दर्ज करवा ली तथा फिर भिराज ने प्रतिवादी सं 1 ता 4 व 5 ता 8 के मौरूस इन्द्राज के नाम 100 उनके पक्ष में अनुचित तौर से विक्रय कर दी जबकि उकत विकय व प्रतिवादीगण के नाम वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण के अधिकारो के मुकाबिले शून्य है तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी सं 28 ता 32 वादीभूमि में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा उत्तनी ही भूमि के प्रतिवादी नं 9 ता 20 भी 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी सं 21 ता 27 मी 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा इसलिए वादी प्रतिवादीगण सं 1 ता 8 व प्रतिवादीगण से 9 ता 20 के मौरूस भिराज व 21 ता 27 के मौरूस डूंगर का नाम राजस्व रेकार्ड से कलमजन करवा तथा जमाबंदी हाल दूरूस्त करवा उपरोक्तानुसार वाद भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तथा तथाकथित बैयनामा बहक प्रतिवादी सं 1 ता 8 शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवा पाने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर वाद भूमि रहन बैय करने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त मकसद में कामयाब हो गये तो उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए वादी उन्हे ऐसा करने से पाबंद करवा पाने का अधिकारी है तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वादी प्रतिवादीगण को उपरोक्त कृत्यो से निषिद्ध करवा पाने का अधिकारी है ।

अत वाद वादी पेश कर निवेदन है कि रौही मौजा चक बी बारानी के खाता संख्या 73 में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं 28 ता 32 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी सं 9 ता 20 भी 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी सं 21 ता 27 भी 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है । बाकी प्रतिवादी से 1 ता 27 का नाम [illegible] प्रतिवादी स0 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकार्ड से कमलजन करवा कर [illegible] काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद वादीयान प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 21 ता 24 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की विवादित भूमि में शेरा पुत्र केसा का कोई सरोकार नही है तथा वादग्रस्त भूमि डुंगर राम व भिराज की मि0स0 849 डीसी हनुमानगढ़ दिनांक 28.03.1957 को मंजूर हुई है तथा वादग्रस्त भूमि की समस्ते किस्ते डुंगरराम व भिराज द्वारा अदा की गई है तथा उक्त भूमि में पूराराम व उसके वारिसान का कोई सरोकार नही है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी नही है एव न ही बैयनामा को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवा पाने के अधिकारी है क्योंकि उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण के पिता डुंगरराम व डुगरराम के भाई भीराज को आवंटन शुदा भूमि है जिसे निरस्त करवाने का वादी अधिकारी नही है। आवंटन आदेश दिनांक 28.03.1957 का है उक्त आवंटन के खिलाफ वादी द्वारा आजतक कोई अपील पेश नही की गई है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की 1 बारानी के प0न0 255/382 (24) के किला न0 16 ता 18 व 24, 25 की 5 बीघा भूमि प्रार्थी/प्रतिवादीगण के पिता प्रेमारा पुत्र सुखराम द्वारा भीराज पुत्र सुखराम से दिनांक 25.05.1974 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है एवं वादी उक्त बैयनामा को शुन्य करवा पाने का अधिकारी नही है। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः—

1. आया कि वाद पत्र की मद संख्या 4 में अंकित भूमि रोही मोजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 73 में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 28 ता 32 का 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 ता 27 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है बाकी प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 का नाम अथवा भिराज व डुगर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकाड से कलमजन करवाने के अधिकारी है?

   वादी

2. आया कि वाद घोषणा उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है?

   वादी

3. आया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता डुगरराम व उसके भाई भिराज को दिनांक 28.03.1957 को आवंटन शुद्धा भूमि है आवंटन आदेश को निरस्त करवाये बिना बादी को वाद लाने का अधिकार नही है?

   प्रतिवादी

4. आया कि पूराराम डूगर भिराज के परिवार की कुल 60.00 बीधा भूमि का बटवारा किया जाकर अलग अलग काश्त करते है प्रतिवादी संख्या 28 ता 32 पुराराम को आवंटन शुद्धा भूम में ही हक प्राप्त क[illegible]धिकारी है?

   प्रतिवादी

5. आया कि दावा में बै[illegible]पुत्र शेरा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4,5 मोरूस इन्द्राज के नाम 100 हिस्सा व [illegible] शुन्य करवाने का पेश किया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने के कारण खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी

6. आया कि चक 13 बारानी के प0न0 255/382 के किला न० 16 ता 18,24,25 कुल 5.00 बीघा भूमि भीराज से प्रतिवादीगण के पिता प्रेमाराम पुत्र सुखराम के द्वारा खरीद की गई भूमि है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है?

प्रतिवादी

7. दादरसी ?

वादी के तनकीयात की समर्थन में साक्ष्य करवाये व वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2011–14 ईएक्सपी–1, खतौनी बंदोबस्त चक 1 बी बारानी ईएक्सपी–2, खाता स0 31 व नकल जमाबंदी चक 1 बी बारानी सम्वत 2063–77 खाता स0 73/61 ईएक्सपी–3, नकल गिरदावरी ख0न0 169 ईएक्सपी–4 पेश किये।

साक्ष्य प्रतिवादी में बयान करवाये गये। प्रतिवादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य सैल रजिस्टर ईएक्सडी–1, नकल भाखड़ा प्रोजेक्ट सरकारी भूमि विक्रय पत्र ईएक्सडी–2, नकल जमाबंदी सम्वत 2030 ईएक्सडी–3, नकल जमाबंदी सम्वत 2029–38 ईएक्सडी–4, नकल जमाबंदी सम्वत 2047 ईएक्सडी–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–34 ईएक्सडी–6, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 ईएक्सडी–7, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2035–38 ईएक्सडी–8, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46 ईएक्सडी–9, नकल जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता स0 112 रोही मौजा ढण्ढेला ईएक्सडी–10, नकल जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता स0 187 रोही मौजा ढण्ढेला ईएक्सडी–11, जमाबंदी खाता स0 329 ईएक्सडी–12, नकल जमाबंदी 1 बी बारानी सम्वत 2071–74 खाता स0 91 ईएक्सडी–13, नकल निर्णय दिनांक 21.01.2011 प्रकरण संख्या 80/2006 अनवानी राजाराम बनाम स्टेट ईएक्सडी–14 पेश किये।

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2013 पेज न0 1139, आरआरटी 2016 पेज न0 1354 व आरएलडब्ल्यू 1997 पेज न0 208 पेश किये, जिनका हमने अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

तनकी नम्बर 1, 2 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का कथन है कि वाद भूमि शेराराम वल्द केसराराम की थी एवं शेराराम के तीन लड़के भीराज, डूॅगर व पूराराम हुए लेकिन शेराराम के देहान्त के बाद भिराज व डूॅगर ने अपने अकेलो के नाम करवा ली एवं उनके बाद इनके वारिसान के दर्ज चही आ रही है इसलिए वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी का भी उक्त वाद के दादा पुराराम का जो हक [illegible] था उसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए [illegible] के खाता संख्या 73 में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 28 ता 32 का 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 ता 27 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 का नाम अथवा भिराज व डुगर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकाड से कलमजन किया जावें लेकिन वाद द्वारा पैतृक भूमि है का मात्र कथन किया गया है ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह भूमि शेराराम वल्द केसराराम व केसराराम के नाम दर्ज रही है मात्र कथनों के आधार पर वादी अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त भूमि भिराज व डूँगर को अलॉट हुई थी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत ईक्सडी 1 ता 13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.03.1957 को उक्त वाद भूमि भिराज व डूँगर को आवंटित हुई है अर्थात भिराज व डूँगर की स्व अर्जित सम्पति है वाद भूमि स्वअर्जित/आवंटित होने के कारण वादी का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है एवं भिराज द्वारा दिनांक 25.05.1974 को अपने हक हिस्सा की भूमि में से 5 बीघा भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.05.74 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता पेमाराम के पक्ष में करवाया गया है। वादी द्वारा उक्त आवंटन व रजिस्टर्ड बैयनामा के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है यानि की आदिनांक तक आवंटन व रजिस्टर्ड बैयनामा वैध है इसलिए वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 27 का नाम अथवा भिराज व डूंगर व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन करवा पाने का अधिकारी नही है क्योंकि उक्त भूमि पैतृक साबित नही है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजो के मुताबिक उक्त भूमि भिराज व डूँगर को आवंटित भूमि है। इस प्रकार वादी तनकी न0 1 व 2 को वादी साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी न0 1 व 2 का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवादीगण किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 3</u> :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत ईक्सडी 1 ता 13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.03.1957 को उक्त वाद भूमि भिराज व डूँगर को अलॉट हुई है एवं वादी द्वारा उक्त आवंटन के खंडन मे कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी व जमाबंदीयों में पहले भिराज व डूँगर के नाम भूमि दर्ज चली आ रही है और उनके बाद उनके वारिसान के दर्ज चली आ रही है। उक्त तनकी को भी वादी साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी न0 3 का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 4</u> :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी स0 28 ता 32 पुराराम को आंवटित भूमि में अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत भी पैतृक भूमि में उसके वारिसान का जन्मजात हक हिस्सा है एवं पुराराम के वारिस पुराराम के नाम दर्ज भूमि में ही अपने हक हिस्सा को प्राप्त करने के अधिकारी है जबकि उक्त वाद भूमि डूँगर व भिराज को आवंटित भूमि है। अतः उक्त तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी खिलाफ वादी किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 5, 6</u> :— इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। यह तनकीयां, तनकी न0 1 व 2 पर आधारित है ... है प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी द्वारा बैयनामा मृतक भीराज पुत्र शेरा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4,5 मोरूस इन्द्राज के नाम 100 हिस्सा को शुन्य करवाने का पेश किया है जो की इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:37 IST
Reason: SelfAttested

नही है एवं चक 1 बी बारानी के प0न0 255/382 के किला न० 16 ता 18,24,25 कुल 5.00 बीघा भूममि भीराज से प्रतिवादीगण के पिता प्रेमाराम पुत्र सुखराम के द्वारा खरीद की गई भूमि है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक दिनांक 28.03.1957 को उक्त भूमि डूगर व भिराज को आवंटित हुई थी अर्थात उक्त भूमि डूँगर व शेरा की स्वयं अर्जित भूमि है वादी द्वारा दिनांक 28.03.1957 के आवंटन के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है अर्थात आवंटन आदेश दिनांक 28.03.1957 आदिनांक वैध है जिसको खारिज करने हेतु वादी सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है तथा भिराज द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि में से 5 बीघा भूमि का पेमाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनाम बेचान किया गया है एवं पेमाराम के देहान्त के बाद वाद भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई है भिराज द्वारा अपनी स्वयं की अर्जित भूमि में से पेमाराम को बेचान किया गया है जिसे पेमाराम के द्वारा खरीद की गई है एवं उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा भी आदिनांक वैध है इसलिए उक्त भूमि में वादी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः उक्त तनकी का निर्णय भी खिलाफ वादी बहक प्रतिवादीगण किया जाता है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:37 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 245/2011

अनवान : –

1. औमप्रकाश पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णकुमार 2. बनवारी 3. महेन्द्र 4. रामेश्वरलाल पि0 पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

5. संतोष पत्नी इन्द्राज पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तह० नोहर ।

6. सुभाष 7. शिशपाल 8. गायत्री पुत्र एवं पुत्रियां इन्द्राज पुत्र पेमाराम जाति नायक साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर ।

9. बादो देवी पत्नी भिराज जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर ।

10. लीलाधर 11. साहबराम 12. आत्माराम 13. छोटूराम 14.हाकमराम 15. विनोद पुत्रगण भिराज जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर ।

16. शोपति 17. गुडडी 18. सुरस्वती 19. बिदामी 20. कोयली पुत्रियां भिराज जाति नायक साकिन ढण्डेला तह० नोहर ।

21. मुखराम 22. सोहनलाल पि० डूंगरराम जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर।

23. इन्द्राज 24. हडमान 25. रामप्यारी 26. सोना 27. शाँति 28. राजैन्द्र पुत्र एवं पुत्रियां ड्रॅगर जाति नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर

29. विधा 30. गीता 31. बादो पुत्र एवं पुत्रियां नत्थूराम पुत्र पुराराम जाति नायक साकिन ढण्ढेंला तहसील नोहर ।

32. रामी देवी पत्नी नत्थूराम कोम नायक साकिन ढण्ढेला तह० नोहर ।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 245 सन 2011 निर्णय दिनांक 28/10/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर